कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

E-Mail :- dpojgr@rediffmail.com, , फोन नम्बर 07817–222930

क्र/5042/मबावि/पो.आ./2018–19 जांजगीर दिनांक 24.01.2019

महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) के अघोलिखित बाल विकास परियोजनाओं के आंगनबाडी केन्द्रों एवं मिनी आ.बा. केन्द्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू ईट फूड प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों का अनुबंध अवधि 31 मार्च 2019 में समाप्त होने के कारण सक्षम महिला स्व सहायता समूहों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्रस्ताव हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में कार्यालयीन समय में दिनांक 15.02.2019 अपरान्ह 4.00 बजें तक प्रस्तुत किये जा सकते है। कार्य से संबंधित शर्तें व विस्तृत विवरण 01 दिवस पूर्व तक कार्यालयीन समय में इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।

क्र	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम जहां प्रदाय किया जाना है।	सेक्टर में आने वाले आ.बा. केन्द्रों की संख्या	सेक्टर में आने वाले मिनी आ.बा. केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	बलौदा	बलौदा ग्रामीण	24	04
2	–,,–	बलौदा शहरी	18	0
3	–,,–	खिसोरा	36	02
4	–,,–	पहरिया	32	11
5	–,,–	कुलीपोटा	23	04
6	–,,–	सिवनी च	24	01
7	–,,–	जर्वे ब	26	03
8	–,,–	कोसमंदा	25	0
9	सक्ती	पोरथा	25	05
10	–,,–	कुरदा	30	02
11	–,,–	सक्ती ग्रामीण	27	05
12	–,,–	सक्ती शहरी	25	0
13	–,,–	डड़ाई	25	09
14	–,,–	रजगा	29	05
15	–,,–	सकरेली ब	34	01
16	–,,–	बाराद्वार शहरी	29	01
17	डभरा	सपोस	28	02
18	–,,–	गोबरा	26	02
19	–,,–	कोटमी	28	03
20	–,,–	धुरकोट	33	02

21	—,,—	चन्द्रपुर	30	01
22	—,,—	डभरा	28	03
23	—,,—	देवरघटा	28	01
24	जैजैपुर	जैजैपुर	23	01
25	—,,—	हसौद	26	01
26	—,,—	चिस्दा	22	0
27	—,,—	ओडेकेरा	27	0
28	—,,—	कचंदा	27	01
29	—,,—	ठठारी	26	01
30	—,,—	भोथिया	27	0
31	—,,—	कोटेतरा	28	01
32	मालखरौदा	सकर्रा	29	0
33	—,,—	पोता	27	01
34	—,,—	मालखरौदा	27	0
35	—,,—	सिंघरा	24	0
36	—,,—	छपोरा	27	0
37	—,,—	अडभार	25	01
38	—,,—	फगुरम	23	01
	कुल	38		

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)

पृ.क्र. कमांक/5048 मबावि/पो.आ/18–19 जांजगीर, दिनांक 24/1/19

प्रतिलिपि :–

01. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जिला जांजगीर चाम्पा । कृपया उक्त विज्ञापन का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करेंगे।

02 परियोजना अधिकारी .... एकीकृत बाल विकास परियोजना .... जिला जांजगीर–चांपा का सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अपने अपने नोटिस बोर्ड में चस्पा करवाना सुनिश्चित करे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)

महिला स्व सहायता समूहो से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु अभिरूचि/प्रस्ताव के संबंध में दिशा निर्देश

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) अंतर्गत जिले की बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु सक्षम महिला स्व-सहायकता समूहों से प्रस्ताव दिनांक 15.02.2019 तक अभिरूचि प्रस्ताव निम्न शर्तो के अधीन आमंत्रित किया जाता है ।

शर्ते :-

1. परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समूहों द्वारा प्रस्तुत आवेदन ही मान्य होगा । इन्ही पंचायतों के महिला स्व सहायता समूह आवेदन कर सकते है ।
2. स्वयं के अथवा किराये का कम से कम 03 कमरे वाला भवन चाहिए। जिसमें आटा चक्की, पल्वराईजर आदि मशीनों को स्थापित करने व सामग्री रखने हेतु भंडार गृह तथा रेडी टू ईट के पैकिंग हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए ।
3. समूह आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए तथा समूह के खाते में कम से कम रूपयें 50,000/- होना चाहिए, ताकि समूह रेडी टू ईट का स्वयं उत्पादन कर सकें एवं आवश्यक मशीनें तथा अद्योसंरचना विकसित कर रेडी टू ईट का निरंतरता बनायें रख सकें ।
4. महिला स्व सहायता समूह का गठन कम से कम 02 वर्ष पूर्व होना चाहिए।
5. समूह का स्वयं का बैंक में जीवित खाता होना चाहिए तथा खाते में विगत दो वर्षो में नियमित रूप से राशि पर लेन-देन होना चाहिए ।
6. समूह का विभागीय ग्रेडिंग में ए-ग्रेड का होना चाहिए ।
7. समूह में कम से कम 10 और अधिकतम् 20 सदस्य होना चाहिए।
8. समूह में आं0बा0 कार्यकर्ता/सहायिका किसी भी पद पर अथवा सदस्य के रूप में नहीं होना चाहिए।
9. समूह एक समान परिस्थितियों, आर्थिक सामाजिक परिवेश की महिलाओं से बना हुआ हो, समूह में एक परिवार की एक ही सदस्य होना चाहिए। रेडी टू ईट प्रदाय कर रहे एक समूह के सदस्य अन्य रेडी टू ईट प्रदाय कर रहें अथवा अन्य समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। परिवार का आशय पंचायत राज अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप होगा ।
10. महिला स्व सहायता समूह पूर्णतः सक्रिय होना चाहिए अर्थात समूह को नियमित रूप से बैठक होती हो, बैंक एवं सदस्यों में आपसी लेन-देन होता हो समूह के द्वारा संधारित समस्त अभिलेख यथा कार्यवाही विवरण पंजी, ऋण पंजी, समूह की कैश बुक/लेखा पंजी आदि अद्यतन हो ।
11. समूह के कोई भी सदस्य किसी भी अपराधिक गतिविधि में शामिल नही है, इस आशय का शपथ पत्र समूह के अध्यक्ष/सचिव/सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

इच्छुक महिला स्व सहायता समूह आवेदन के संबंध में व अन्य जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चाम्पा से संपर्क कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र सीधे कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला जांजगीर-चाम्पा में जमा कर सकते है । आवेदन पत्र दिनांक 15. 02.2019 तक शायं 4.00 बजे तक स्वीकार किया जावेगा ।निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । डॉक द्वारा प्रेषित आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

<u>रेडी टू ईट फुड संचालन हेतु समूह से अभिरूची प्रस्ताव हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप</u>

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल अधिकारी,
जिला जांजगीर–चाम्पा, (छ0ग0)

विषय :– रेडी टू ईट फुड संचालन हेतु समूह से अभिरूचि का प्रस्ताव सेक्टर का नाम ....

1. परियोजना का नाम :– ....

2. सेक्टर का नाम, जिसके लिए प्रस्ताव दिया गया :– ....

3. समूह का सेक्टर स्थित ग्राम का है या नही, :–

4. समूह का नाम/पता/(ग्राम पंचायत, गांव, पारा, मोहल्ला सहित) मो.नं. :– ....'.....

....

5 सदस्य संख्या ....

6 बैक का नाम जहॉ समूह का खाता है (पासबुक की छायाप्रति जिसमे समूह का पता लिखा हो):– ....

....

7 खाता क्रमांक :– ....

8 खाता खोलने का दिनांक/संचालन की अवधि :– ....

9 खाता में जमा राशि :– (20.01.2019) की स्थिति में विगत 6 माह का लेनदेन अद्यतन हो) छायाप्रति संलग्न करे । ....

10 पंजीयक फर्म एवं सोसायटी में यदि पंजीयन हो तो पंजीयन कमांक /दिनांक :– ....
(पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

11 समूह का वर्तमान ग्रेडिंग तिथि / ग्रेडिंग ए बी सी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करे) ....

12 शासकीय विभागों का कार्य अनुभव हो तो हॉ/नही ((सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ग्रेडिंग प्रमाणपत्र संलग्न करे जिसमें कब से काम कर रहे है इसका स्पष्ट उल्लेख हो)

01 विभाग का नाम ....

02 अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक /दिनांक ....

03 जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम ....

04 अनुभव की अवधि (वर्ष / माह) ....

13 समूह के अध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्ष व सदस्यों की जानकारी :— ....

क्र.	नाम	जाति	पदनाम	पता/फोन नम्बर	शैक्षणिक योग्यता
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

14 किसी विभाग या बैंक से ऋण लिया हो तो विवरण :—

01 विभाग /बैंक का नाम व पता ....

02 योजना का नाम ....

03 ऋण लेने का दिनांक ....

04 ऋण की राशि ....

05 चुकता प्रमाण पत्र ....

06 यदि ऋण चुकता बकाया हो तो शेष राशि ....

15 समूह के पास यूनिट स्थापना हेतु कम से कम 03 कमरों वाला भवन हो (फोटोग्राफ संलग्न करे) ....

....

16 यूनिट स्थापना हेतु विद्युत व्यवस्था :– 01 थ्री फेस कनेक्शन :– है / नही

02 सिंगल कनेक्शन :– है /नही

17 यूनिट स्थल /समूह मुख्यालय में आवागमन का साधन बस / अन्य चार पहिया वाहन चलती है या नही ....

18 समूह के वाहन व्यवस्था का विवरण है ट्रक /जीप / मेटाडोर आदि :–

01 वाहन का प्रकार ....

02 वाहन किसके नाम से पंजीकृत है :– (अभिलेख की छायाप्रति संलग्न करे)...

19 रेडी टू ईट यूनिट स्थापना हेतु समूह के प्रस्ताव की छायाप्रति सलग्न करे..

.20 समूह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका सदस्य है या नही :– ....

.21 एक ही परिवार के 01 से अधिक सदस्य है या नही :– ....

22 समूह के द्वारा संधारित अभिलेख/रजिस्टर/पंजी का विवरण दे:–(विगत छः माह की स्थिति की छायाप्रति)

01 बैठक पंजी

02 उपस्थिति पंजी

03 केशबुक

04 सदस्यता पंजी

05 आंतरिक लेनदेन पंजी

06 लाभांशपंजी

23 समूह द्वारा वर्तमान में संचालित आर्थिक व अन्य गतिविधियों का विवरण :– ....

....

....

24 आंतरिक लेन–देन की विवरण (प्रतिमाह औसत विगत छः माह तक) ....

25 क्या समूह सेक्टर मुख्यालय में स्थित है यदि नही तो कितनी दूरी पर है और पर्यवेक्षक सेक्टर के क्षेत्र अंतर्गत स्थिपित है या नही (आश्रित ग्राम पंचायत) है या नही आश्रित ग्राम का नाम :– ....

26 अन्य विवरण :– ....

संलग्न :– उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र।

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

हस्ताक्षर.
अध्यक्ष / सचिव.
समूह का नाम..................................

उपरोक्तानुसार कण्डिका 01 से 26 तक दी गयी जानकारी मेरी जानकारी अनुसार पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर समूह के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी व आवेदित कार्य हेतु अपात्र ठहराया जा सकेगा।

दिनांक .... हस्ताक्षर
स्थान .... अध्यक्ष / सचिव
समूह का नाम.....................................

कार्यालय जिला कार्याक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास,
जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

E-Mail :- dpojgr@rediffmail.com, , फोन नम्बर 07817–222930

क्र/5040/मबावि/पो.आ./2018–19 जांजगीर दिनांक 24.1.19

महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) के बाल विकास परियोजनाओं के आंगनबाडी केन्द्रों एवं मिनी आ.बा. केन्द्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू ईट फूड प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों का अनुबंध अवधि 31 मार्च 2019 में समाप्त होने के कारण सक्षम महिला स्व सहायता समूहों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्रस्ताव हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में कार्यालयीन समय में दिनांक 15.02.2019 अपरान्ह 4.00 बजें तक प्रस्तुत किये जा सकते है। कार्य से संबंधित शर्ते व विस्तृत विवरण जिले के सूचना पटल एवं वेबसाईट से देखा जा सकता है।, परियोजना बलौदा से सेक्टर बलौदा ग्रामीण, बलौदा शहरी, खिसोरा, पहरिया, कुलीपोटा, सिवनी च, जर्वे ब, एवं कोसमंदा परियोजना सक्ती से पोरथा, कुरदा, सक्ती ग्रामीण, सक्ती शहरी, डढ़ाई, रजगा, सकरेली ब, बाराद्वार शहरी परियोजना डभरा से सपोस, गोबरा, कोटमी, धुरकोट, चन्द्रपुर, डभरा, देवरघटा परियोजना जैजैपुर से जैजैपुर, हसौद, चिस्दा, ओड़ेकेरा, कचंदा, कोटेतरा, ठठारी, भोथिया एवं परियोजना मालखरौदा से सकर्रा, पोता, मालखरौदा, सिंघरा, छपोरा, अड़भार एवं फगुरम से प्रस्ताव का आमंत्रण लिया जाना है।

(हस्ताक्षर)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पृ.क्र. कमांक/5041/मबावि/पो.आ/18–19 जांजगीर, दिनांक 24/1/19

प्रतिलिपि :–

01 संचालक, जनसंपर्क छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु सादर प्रेषित।

02 परियोजना अधिकारी .... एकीकृत बाल विकास परियोजना .... जिला जांजगीर–चांपा का सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अपने अपने नोटिस बोर्ड में चस्पा करवाना सुनिश्चित करे।

03 जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, (एन.आई.सी.)जांजगीर–चांपा को सूचनार्थ कर लेख है कि विभागीय बेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

(हस्ताक्षर)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

\\RAJNEESH\Users\Public\Press Report.doc Page 166